संख्या- 02 /2018/193/सत्तर-4-2018-735/2015

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय,कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः- 25 जनवरी, 2018

विषयः- सिद्धार्थ विश्वविद्यालय,कपिलवस्तु,सिद्धार्थनगर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अधिकारी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या 926/सि0वि0वि0/2017 दिनांक 14.10.2017 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या- 906/सत्तर-4-2016-735/2015,दिनांक 21.07.2016 के क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,सिद्धार्थनगर के प्रथम फेज के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 19,69,75,000/-(रूपये उन्नीस करोड़ उनहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।-

(1) उक्त अनुदान की धनराशि कुलसचिव/वित्त अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर निर्माण कार्य की आवश्यकतानुरूप तत्काल कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि बैंक खाता या पी0एल0ए0 में नहीं रखी जाएगी।

(3) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस तथा तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(4) प्रायोजना में लेक्चर थियेटर व लेक्चर हाल में प्रस्तावित साउण्ड सिस्टम तथा फर्नीचर की आवश्यकता एवं औचित्य तथा उनके न्यूनतम लागत के परीक्षण हेतु शासन स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी। उक्त समिति की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना लेक्चर थियेटर व लेक्चर हाल में प्रस्तावित साउण्ड सिस्टम तथा फर्नीचर की आपूर्ति नहीं की जायेगी। समिति द्वारा प्रायोजना में इन कार्यमदों में प्रस्तावित लागत में 10 प्रतिशत की कमी की सीमा के अंतर्गत जो न्यूनतम लागत संस्तुत करेगी, उस सीमा तक प्रायोजना लागत संशोधित समझी जायेगी।

(5) प्रायोजना में प्रस्तावित भवनों का निर्माण यू0जी0सी0 द्वारा अनुमन्य न्यूनतम क्षेत्रफल एवं मानकों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) बाह्य विद्युत कार्यों के अंतर्गत सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर, विद्युत सूरक्षा प्रणाली, बाह्य विद्युतीकरण, फायर डिटेक्शन, फायर अलार्म, स्पिलिट ए0सी0, लिफ्ट,स्टेज लाइटिंग, साउण्ड सिस्टम,ई0पी0बी0ए0एक्स0 सिस्टम,सोलर लाइट आदि कार्य कराये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोटेशन प्राप्त करेंगे तथा सामग्री का क्रय एवं उनकी स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(7) प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही प्रायोजना के प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) प्रायोजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यों की पुनरावृत्ति (डुप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) प्रायोजनांतर्गत लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकि स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो, इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अंदर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(10) निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यों की प्रगति के सतत् अनुश्रवण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा किये गये अनुश्रवण एवं संस्तुतियां सहित फीडबैक शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था एवं विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व होगा कि प्रायोजनांतर्गत प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों यथा-सैण्ड स्टोन क्लेडिंग, ग्रेनाइट, ट्यूबलर फ्रेम, यू0पी0वी0सी0, पॉलीकार्बोनेट शीट, वाल पैनेलिंग, प्रोफाइल शीट, फाल्स सीलिंग, कारपेट आदि का प्रयोग नियमानुसार न्यूनतम व वास्तविक दरों पर तथा सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने एवं कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की बनाये रखने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कार्यदायी संस्था के साथ अनुबंध निस्पादित कर लिया जायेगा।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-73 के अंतर्गत लेखा शीर्षक- ''4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-30-सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाले जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया
(मधु जोशी)
विशेष सचिव।

संख्या- 02/2018/193(1)/सत्तर-4-2018 तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
7. प्रबंध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
8. परियोजना प्रबंधक, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, फैजाबाद अंचल।
9. संबंधित वास्तुविद् द्वारा प्रबंध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृत धनराशि का तत्काल ऑनलाइन **ग्रिड (बजट) एलाटमेंट कर** उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सर्वेश कुमार सिंह)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।